(झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्)

पारा शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त 2019

प्रारूप

अध्याय – 1
संक्षिप्त नाम और परिभाषाएँ

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभः–**
   i. समग्र शिक्षा अन्तर्गत यह पारा शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त 2019 कहलाएगी ।
   ii. इसका विस्तार समग्र शिक्षा अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जिलों के विद्यालयों में कार्यरत पारा शिक्षकों पर प्रभावी होगा।
   iii. पारा शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त 2019 भारत सरकार द्वारा संचालित समग्र शिक्षा कार्यक्रम के भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित रहने तक ही प्रभावी मानी जाएगी ।
2. **परिभाषाएँः–** जब तक कोई विषय या प्रसंग के विरूद्ध नहीं हो, इस नियमावली मेंः–
   (i) ''प्राथमिक कक्षा'' से तात्पर्य है, कक्षा 1 से 5 ।
   (ii) ''उच्च प्राथमिक कक्षा'' से तात्पर्य है, कक्षा 6 से 8 ।
   (iii) ''प्रारंभिक कक्षा' से तात्पर्य है, कक्षा 1 से 8
   (iv) सर्व शिक्षा अभियान (वर्तमान में समग्र शिक्षा) के तहत् संचालित प्रारंभिक विद्यालयों से अभिप्रेत है कि सर्व शिक्षा अभियान (समग्र शिक्षा) के तहत् स्थापित किये गये शिक्षा गारंटी केन्द्र जो बाद के वर्षो में प्राथमिक विद्यालयों में उत्क्रमित किये गये तथा वैसे प्राथमिक विद्यालय जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत् मध्य विद्यालयों में उत्क्रमित किये गये या किये जायेंगे।
   (v) **''पारा शिक्षक''** से अभिप्रेत है ग्राम शिक्षा समिति द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत् झारखण्ड राज्य में अनुबंध पर एक निर्धारित मानदेय पर रखे गये शिक्षक।
   (vi) ग्राम शिक्षा समिति (वर्तमान में विद्यालय प्रबंध समिति) से अभिप्रेत है उस ग्राम के अधीन सर्व शिक्षा अभियान के तहत् विद्यालय को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु गठित समिति।

(vii) **''विद्यालय प्रबंध समिति''** से अभिप्रेत है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009 के तहत विद्यालयों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु गठित समिति ।

(viii) **''पंचायत''** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद–243(ख) के अधीन झारखण्ड राज्य पंचायत अधिनियम 2001 के तहत् यथा परिभाषित पंचायत ।

(ix) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से अभिप्रेत है कि NCTE या अन्य किसी नाम विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण संस्थानों एवं प्रशिक्षण व्यवस्था को नियमित करने वाली परिषद्।

(x) **''प्रशिक्षित''** से अभिप्रेत है कि वैसे व्यक्ति जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से निम्न प्रशिक्षण प्राप्त एवं उत्तीर्ण या उसके समकक्ष प्रशिक्षण की योग्यता रखते हों :–

(क) **प्राथमिक विद्यालयों/उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय**

– द्विवर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण में डिप्लोमा (D.El.Ed.) ।

अथवा

– चार वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (B.El.Ed.) ।

अथवा

– पारा शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए इग्नू द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा प्रशिक्षण (DPE)।

(ख) **मध्य विद्यालय/उत्क्रमित मध्य विद्यालय**

– द्विवर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण में डिप्लोमा (D.El.Ed.) ।

अथवा

– चार वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (B.El.Ed.) ।

अथवा

– पारा शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए इग्नू द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा प्रशिक्षण (DPE)।

अथवा

– बी0एड0

(xi) मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से शिक्षण प्रशिक्षण का तात्पर्य है कि इस नियमावली में उल्लेखित एवं वांछित शिक्षक प्रशिक्षण चाहे वे नियमित रूप से अथवा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किए गए हों, परन्तु

क) यदि शिक्षण प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के प्रभावी होने की तिथि 17.08.1995 के बाद प्राप्त हो तो यह शिक्षण प्रशिक्षण मात्र उन प्रशिक्षण संस्थानों से प्राप्त एवं उत्तीर्ण किये गये हों जिन्हें ये शिक्षक प्रशिक्षण प्रदत्त करने हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की मान्यता अनिवार्यतः प्राप्त हो ।

ख) यदि शिक्षण प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के प्रभावी होने की तिथि 17.08.1995 के पूर्व प्राप्त हों, तो ये शिक्षण प्रशिक्षण मात्र उन प्रशिक्षण संस्थानों से प्राप्त एवं उत्तीर्ण किये गये हों जिन्हें ये शिक्षक प्रशिक्षण प्रदत्त करने हेतु उस राज्य, जहाँ वे अवस्थित हों, की राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मान्यता अनिवार्यतः प्राप्त हो ।

(xii) राज्य सरकार से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार।

(xiii) **''प्राधिकृत अभिकरण''** से अभिप्रेत है, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् जिसे राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन करने हेतु प्राधिकृत किया गया है ।

(xiv) **''संविदा''** से अभिप्रेत है, किसी विशिष्ट स्कूल यथा– सर्व शिक्षा अभियान (वर्तमान में समग्र शिक्षा) के अन्तर्गत खोले गए विद्यालय अथवा मध्य विद्यालय के रूप में उत्क्रमित किए गए प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में अध्यापन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्था एवं चयनित पारा शिक्षकों के बीच किए गए अनुबंध के आधार पर ली गई सेवाएँ।

(xv) **''अनुसूची''** से अभिप्रेत है, इन नियमों में संलग्न अनुसूची ।

(xvi) **''अनुसूचित जाति''** से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति ।

(xvii) **''अनुसूचित जनजाति''** से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति ।

(xviii) **''विभाग'** से तात्पर्य है, झारखण्ड सरकार का स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ।

(xix) **''राज्य कार्यकारिणी समिति, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्''** से अभिप्रेत है, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् की नीति निर्धारण के लिए स्थापित सर्वोच्च समिति जो परिषद् के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करें तथा इससे संबंधित सभी कार्य निष्पादित करें तथा झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के संचालन हेतु सभी तरह के आवश्यक निर्णय लेने हेतु सक्षम प्राधिकार के रूप में कार्य करने वाली समिति ।

(xx) **''राज्य परियोजना निदेशक''** से तात्पर्य है, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के राज्य परियोजना निदेशक ।

(xxi) **''जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी''** से तात्पर्य है, झारखण्ड राज्य के किसी जिले में माध्यमिक शिक्षा के प्रभारी के रूप में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पदाधिकारी जिन्हें पदेन समग्र शिक्षा कार्यक्रम के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है ।

(xxii) **''जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी''** से तात्पर्य है, झारखण्ड राज्य के किसी जिले में प्रारंभिक शिक्षा के प्रभारी के रूप में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पदाधिकारी जिन्हें पदेन समग्र शिक्षा कार्यक्रम के अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है ।

(xxiii) **''अर्हक परीक्षा अथवा आकलन परीक्षा'' से** तात्पर्य है, पारा शिक्षकों हेतु मानदेय में बढ़ोतरी के लिए देखते हुए पारा शिक्षकों की अध्ययापन क्षमता एवं योग्यता का आकलन करने हेतु सीमित परीक्षा ।

अध्याय – 2

पृष्ठभूमि

केन्द्र सरकार द्वारा शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के उद्देश्य की पूर्ति हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत 06 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु अभियान विद्यालय खोले गए जहाँ संबंधित विद्यालयों के संचालन हेतु स्थापित ग्राम शिक्षा समिति द्वारा स्थानीयता के आधार पर सहयोगी शिक्षक (वर्तमान में पारा शिक्षक) का चयन किया गया । ग्राम शिक्षा समिति द्वारा ऐसे पारा शिक्षकों के साथ एकरारनामा की शर्तों के अधीन विद्यालयों में पठन–पाठन हेतु सहयोगी शिक्षकों की सेवाएँ ली गई। तत्समय में प्राथमिक स्तर (कक्षा 1से 5) हेतु समुदाय शिक्षक/पारा शिक्षक के चयन हेतु न्यूनतम अहर्ता मैट्रिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षा हेतु संबंधित विषय में स्नातक योग्यताधारी पारा/समुदाय शिक्षक रखने की अहर्ता निर्धारित की गई।

कालान्तर में भारत सरकार के निदेशानुसार पारा शिक्षकों के शैक्षणिक अहर्ता में परिवर्तन किया गया । वर्ष 2004 में राजकीय एवं नए प्राथमिक विद्यालय में सहयोगी शिक्षक हेतु न्यूनतम अहर्ता झाखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के द्वारा इंटरमीडिएट के साथ दो वर्षीय प्रशिक्षण कर दी गई ।

वर्ष 2005 में प्राथमिक कक्षा (कक्षा 1 से 5) के लिए पारा शिक्षकों की अहर्ता एवं योग्यता में संशोधन करते हुए इसे इंटरमीडिएट प्रशिक्षित रहना अनिवार्य कर दिया गया तथा चयन में उच्चतर योग्यताधारी को प्राथमिकता का प्रावधान लागू किया गया।

उच्च प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 6 से 8) के लिए चयन हेतु पारा शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता विज्ञान में स्नातक निर्धारित की गई जिसे बाद में विज्ञान स्नातक की अनुपलब्धता की स्थिति में तीन पारा शिक्षकों में एक विज्ञान स्नातक, एक कला स्नातक तथा एक इंटरमीडिएट विज्ञान के साथ कला स्नातक की अहर्ता निर्धारित की गई।

वर्ष 2005 में विद्यालयों के उत्क्रमण के पश्चात् छात्र–शिक्षक अनुपात 1:40 के आलोक में अतिरिक्त पारा शिक्षक रखने की अनुमति प्रदान की गई तथा जिसे दिनांक 30.09.2007 के प्रभाव से छात्र–शिक्षक अनुपात पर चयन नहीं करने का आदेश निर्गत किया गया ।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के दिनांक 01.04.2010 से अस्तित्व में आने के पश्चात् राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा निर्धारित शिक्षक पद हेतु अहर्ता में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता को भी अनिवार्य माना गया तथा झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के द्वारा दिनांक 01.04.2010 से 24.06.2012 तक पारा शिक्षक के चयन को स्थगित रखा गया तथा दिनांक 25.06.2012 को झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा दिनांक 01.04.2010 के प्रभाव से राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लागू हो जाने के कारण अधिनियम की कंडिका 23A के आलोक में प्रशिक्षण के साथ–साथ झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) में उत्तीर्णता को भी अनिवार्य कर दिया गया ।

पारा शिक्षकों की सेवाएँ नियत मानदेय पर ली जाती हैं तथा समय–समय पर मानदेय की वृद्धि झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा की जाती रही है । परन्तु पारा शिक्षकों के विभिन्न संगठनों द्वारा 'समान कार्य समान वेतन' की मांग करते हुए सरकारी शिक्षकों के समान वेतनमान की मांग की गई तथा इससे संबंधित मामला झारखण्ड उच्च न्यायालय मे भी दायर किया गया । अन्य राज्यों में भी सेवा नियमितिकरण हेतु समुदाय शिक्षकों द्वारा उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में भी याचिकाएँ दायर की गई । इस संबंध में विभिन्न न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेशों का अध्ययन किया गया जो निम्न है :–

<u>उत्तर प्रदेश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. संख्या 9529/2017</u> में पारित आदेश (66 Pages) के Para 21, 22, 23, 25 एवं 26 काफी महत्वपूर्ण है । इसके para–26 में अंकित है– "The State is at liberty to continue them as Shiksha Mitras on same terms on which they were working prior to their absorption, if the State so decides."

झारखण्ड के पारा शिक्षक भी सभी शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तथा Agreement ग्राम शिक्षा समिति के साथ करते हैं। राज्य सरकार द्वारा पूर्ववर्ती नियुक्ति नियमावली में विशेष प्रावधान किए गए हैं जो पर्याप्त प्रतीत होते हैं। विभिन्न सदृश्य मामलों में पारित निम्न आदेश पारित किए गए हैं:–

(i) WP(S) No. 4110/2013 Bholanath Hansda Vs The State of Jharkhand, order dated 02.05.2017 in column 45(ii) it is clearly mention that "The continuance/engagement of the appellants under the specific scheme cannot be held to be an employment under any establishment of the Government."

(ii) In the case Uma Devi Vs. the State of Karnataka, the consistiution bench of the Hon'ble Supreme Court has held that the Union of India and the State Government and its instrumentalities cannot make appointment dehors the constitutional scheme of public employment the appointment in the state and its instrumentalities should only be in accordance with the rules and procedure relating to regular appointment equality of opportunity is the hallmark, and the constitution has provided also for affirmative action to ensure that unequals are not treated as equals. Thus any public employment has to be in terms of the constitional scheme. Equality of opportunity in public employment is the basic feature of the constitution which the state has to honor while making recruitment.

माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा पारित आदेश WP(S No 3679/ 2015, बासुदेस प्रसाद यादव एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य के अंतिम पारा में अंकित हैः–

"The petitioners have been appointed for a fixed tenure of contract now they want extention in the terms and condition of contract, which can not be excluded under Article 226 of the constitution of India since the said provision is meant for only if there is infringement of fundamental right of the litigant has got vested legal right. Here in the instant admittedly the petitioners have been appointed on contract having in terms of conditions the same can not be said to be any fundamental right or they have been vested with the legal right to continue in service by taking them under regular establishment.

As no reliefs can be granted to the petitioner by this Court in exercise of extraordinary Jurisdiction conferred under Article 226 of the Constitution of India.

Accordingly, there is no merit in the writ petition; hence it is dismissed."

(iii) LPA No 445/2017 में याचिका संख्या WP(S No 200/ 2015, जिसे माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा खारिज किया गया है, के संबंधित अंश का संदर्भ लिया जा सकता है–

Para -11 "it appears that the selection process was started and was completed by 'Aam Sabha' of a particular village in question." तथा " The employer has all right, power, jurisdiction and authority to say that selected candidates shall not be given appointment. There can be several reasons not be give appointment like-

(a) Insufficiency or lack of infrastructure, or

(b) Lack of availability of finance, or

(c) No need to appoint the selected candidate for any reason with the institution or employer etc.

Thus for any reason whatsoever, the employer can always say that now the employer do not want the selected candidates to be appointed. Thus*, there is no vested right in this appellant to get appointment after his selection."*

पारा शिक्षकों के संगठनों द्वारा राज्य सरकार के समक्ष वेतनमान की स्वीकृति एवं नियमितिकरण हेतु अभ्यावेदन समर्पित कर मांग की गई। सरकार द्वारा उनकी मांग के आलोक में विचार करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर पारा शिक्षकों के सदंर्भ में नियमावली तैयार करने का निदेश दिया गया। सिमति द्वारा विभिन्न न्यायालीय न्यायादेशों तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 एवं मांगो तथा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं को दृष्टिपथ रखते हुए पारा शिक्षकों के लिए पारा शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त का प्रारूप तैयार किया गया है ।

अध्याय – 3

नियोजन

1. **सर्व शिक्षा अभियान (वर्तमान में समग्र शिक्षा) अन्तर्गत विद्यालयों में पारा शिक्षकों के पदों का सत्यापन –**

(i) सर्व शिक्षा अभियान (समग्र शिक्षा) के तहत् भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप जिले में जितने भी सामुदायिक शिक्षकों का पद स्वीकृत है, उसका वास्तविक आकलन समग्र शिक्षा के जिला कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ।

(ii) जिला कार्यकारिणी द्वारा पदों को अंतिम रूप से अनुमोदित करने हेतु निम्न मापदण्डों के आधार पर आकलन किया जाएगाः–

- **सर्व शिक्षा अभियान (समग्र शिक्षा) के तहत खोले गए एवं संचालित विद्यालय** – प्रति विद्यालय दो पद (प्रति 60 बच्चों पर दो)।

- **सर्व शिक्षा अभियान (समग्र शिक्षा) के तहत उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय** – प्रति विद्यालय तीन पद–
  विज्ञान/गणित – 01, सामाजिक विज्ञान–01, भाषा– 01
- **सर्व शिक्षा अभियान (समग्र शिक्षा) के तहत छात्र–शिक्षक अनुपात** के आधार पर विद्यालयवार कार्यरत पारा शिक्षकों का आकलन निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act 2009) के तहत किया जाएगा –

कक्षा 1 से 5 हेतु संचालित प्राथमिक विद्यालय

क्र. सं.	निर्धारित मानक	छात्र–शिक्षक अनुपात के आधार पर स्वीकृत पारा शिक्षकों की संख्या
1	Upto 60 की छात्र संख्या	2
2	61 से 90 छात्र संख्या	3
3	91 से 120 छात्र संख्या	4
4	121 से 200 छात्र संख्या	5
5	200 से ऊपर की छात्र संख्या पर प्रत्येक अतिरिक्त 40 पर	1

कक्षा 6 से 8 हेतु संचालित मध्य विद्यालय (उच्च प्राथमिक विद्यालय)

- उच्च प्राथमिक कक्षाओं हेतु प्रत्येक कक्षा के लिए न्यूनतम एक शिक्षक का प्रावधान ताकि प्रत्येक निम्नांकित विषय हेतु एक शिक्षक अनिवार्य रूप से रहे :–
  विज्ञान एवं गणित – 01 शिक्षक
  सामाजिक विज्ञान – 01 शिक्षक
  भाषा – 01 शिक्षक
- प्रत्येक 35 छात्रों पर एक शिक्षक अनिवार्य रूप से होगा।
- जिन विद्यालयों में उपरोक्त प्रावधान के अनुसार पारा शिक्षक अतिरिक्त पाए जाते हैं तो उन्हें वैसे विद्यालयों में जहां उपरोक्त प्रावधान के अनुसार कम शिक्षक हों उन

विद्यालयों में समायोजित कर अंतिम सूची विद्यालयवार तैयार की जाएगी तथा उक्त पर जिला कार्यकारिणी समिति अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा ।

- छात्र–शिक्षक अनुपात के आधार पर अतिरिक्त पाए गए पारा शिक्षक अपने समायोजन के विद्यालय में कार्य करने से इंकार करते हैं तो उन्हें कार्यमुक्त करने पर हेतु जिला कार्यकारिणी समिति सक्षम होगी ।

2. (क) पारा शिक्षकों विधिवत चयनित हैं, संविदा पर कार्यरत हैं संविदा शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है । निम्न अहर्ता के अनुरूप प्रस्तावित मानदेय देय होगा :–

(i) पारा शिक्षक (इंटरमीडिएट/ग्रेजुएट) चयन के समय चयन पूर्व प्रशिक्षित एवं पारा शिक्षक की संविदा हस्ताक्षर की तिथि से 8 वर्ष पूर्ण होने पर ।

(ii) अप्रशिक्षित तथा इंटर/ग्रेजुएट चयन के पश्चात् सर्व शिक्षा अभियान में कार्यरत रहते IGNOU/NIOS प्रशिक्षित के प्रशिक्षण के 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर ।

(iii) नियमित छात्र के रूप में पारा शिक्षक रहते हुए शैक्षणिक अहर्ता वृद्धि करने वाले उक्त अधीन आच्छादित नहीं होंगे ।

2. <u>(ख) मात्र प्रशिक्षित शिक्षकों के अध्ययापन कौशल एवं योग्यता के आकलन हेतु झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा प्राधिकृत संस्था द्वारा एक सीमित प्रतियोगिता परीक्षा जो कि एक अर्हक परीक्षा होगी का आयोजन किया जाएगा । जिसके लिए निर्धारित अहर्ता निम्नवत् होगी :–</u>

क) प्रशिक्षित पारा शिक्षक के रूप में प्रशिक्षण के पश्चात् 10 वर्ष की पारा शिक्षक की अटूट सेवा का अनुभव ।

ख) चयन के समय लागू प्रावधानों के अनुरूप विधिवत रूप से चयनित हों ।

ग) संविदा शर्तों का उल्लंघन कार्य अवधि में न किया गया हो।

3. सीमित आकलन परीक्षा का स्वरूप –

(क) (i) आकलन परीक्षा के दो स्तर यथा प्राथमिक विद्यालय स्तर (1–5) हेतु एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर (6–8) हेतु होंगे ।

(ii) कोई भी अभ्यर्थी अपने चयनित स्तर (जिस स्तर पर वर्त्तमान में संविदा में कार्यरत हों) की आकलन परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा ।

(ख) (i) प्रत्येक स्तर की क्षमता आकलन परीक्षा में दो पार्ट में परीक्षाएँ आयोजित की जायेंगी ।

(ii) प्रथम परीक्षा का प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर होगा ।

(iii) द्वितीय परीक्षा लिखित होगी जो विषय आधारित तथा विद्यार्थी के शिक्षण अहर्ता क्षमता हेतु प्रमुख विषय हेतु होगी ।

(ग) उक्त कंडिका में वर्णित दोनों चरणों की परीक्षाओं का आयोजन दो पालियों में किया जाएगा। प्रथम पाली की परीक्षा का प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर होगी तथा द्वितीय पाली की परीक्षा लिखित विषय आधारित होगी ।

(घ) उक्त दोनों परीक्षाओं के लिए निर्धारित अवधि निम्नवत् होगी :–

i. प्राथमिक कक्षा (1 से 5) – प्रथम पाली– बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र आधारित – दो घंटा तीस मिनट, द्वितीय पाली– लिखित परीक्षा– दो घंटा तीस मिनट ।

ii. उच्च प्राथमिक कक्षा (6 से 8) – प्रथम पाली– बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र आधारित – दो घंटा तीस मिनट, द्वितीय पाली– लिखित विषय आधारित परीक्षा– दो घंटा तीस मिनट ।

iii. दृष्टि बाधित, दिव्यांगों के लिए – तीस मिनट का अतिरिक्त समय।

(च) परीक्षा बहुविकल्पीय परीक्षा में अंकों की ऋणात्मक गणना नहीं की जायेगी ।

(छ) कक्षा 1 से 5 के लिए पात्रता जांच परीक्षा का स्वरूप निम्नवत् होगा :–

1. प्रथम पाली की बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित परीक्षा –

खण्ड	विषय	बहु–विकल्पीय प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक
1	बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति	30	30
2	भाषा – I हिन्दी	40	40
3	भाषा – II अंग्रेजी	30	30
4	क्षेत्रीय भाषा संस्कृत/उर्दू सहित	30	30
5	पर्यावरण	20	20
	कुल	**150**	**150**

2. द्वितीय पाली की लिखित परीक्षा –

खण्ड	विषय	पूर्णांक
1	अंग्रेजी भाषा की समझ एवं निष्कर्ष आधारित प्रश्न आधारित प्रश्न	50
2	गणित	50
	कुल	**100**

(ज) कक्षा 6 से 8 के लिए निम्नवत् अहर्त्ता जाँच परीक्षा ली जायेगीः

1. प्रथम पाली की बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित परीक्षा –

खण्ड	विषय	बहु–विकल्पीय प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक
1	बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति	50	50
2	भाषा – I हिन्दी	50	50
3	भाषा – II अंग्रेजी	50	50
	कुल	**150**	**150**

2. द्वितीय पाली की लिखित परीक्षा –

कोटि	विषय	पूर्णांक
स्नातक (गणित एवं विज्ञान कोटि)	(a) गणित विज्ञान एवं विज्ञान शिक्षक : गणित–50, विज्ञान–50 (भौतिक– 25, रसायन–25, वनस्पति–25, जीव विज्ञान–25 में से कोई भी दो विषय)	100
स्नातक (सामाजिक विज्ञान कोटि)	(b) समाज अध्ययन शिक्षक : 1 (इतिहास–33, 2 भूगोल–34/राजनीति शास्त्र–34, 3 अर्थशास्त्र–33/नागरिक शास्त्र–33 में से कोई भी तीन विषय)	100
स्नातक (भाषा कोटि)	(c) भाषा शिक्षक : (अंग्रेजी – 50 एवं हिन्दी/संस्कृत/उर्दू/अन्य संबंधित, भाषा–50)	100

(च) उपरोक्त परीक्षाओं हेतु पाठ्यक्रम परिशिष्ट – 1 पर संलग्न किया गया है । साथ क्षेत्रीय भाषाओं की जिलावार विवरणी परिशिष्ट –2 पर संलग्न है ।

(छ) प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंगेजी दोनों भाषाओं में होंगे और परीक्षा का माध्यम हिन्दी या अंग्रेजी होगा । अन्य भाषा विषयों के प्रश्न पत्र संबंधित भाषा में होंगे ।

(ज) प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए आकलन परीक्षा के प्रश्न एन.सी.ई. आर.टी./सी.बी.एस.ई. एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत सिलेबस पर आधारित होंगे। इनकी कठिनाई का अधिकतम स्तर माध्यमिक या समकक्ष होगा।

(झ) उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए आकलन परीक्षा के प्रश्न एन. सी.ई.आर.टी./सी.बी.एस.ई. एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत सिलेबस पर आधारित होंगे । इनकी कठिनाई का अधिकतम स्तर 10+2/उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष होगा ।

(ट) आकलन परीक्षा हेतु प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए सिलेबस क्रमशः अनुसूची–2 एवं अनुसूची–3 के अनुरूप होगी ।

(ठ) आकलन परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा । परन्तु कि अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत अंक की छूट देय होगा, परन्तु न्यूनतम प्राप्तांक में छूट किसी भी परिस्थिति 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । अर्थात उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम प्राप्तांक 55 प्रतिशत होगा।

आदिम जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांक में अतिरिक्त 2 प्रतिशत् अंक की छूट होगी ।

(प) आकलन परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा अधिसूचित प्राधिकार/आकलन परीक्षा प्राधिकार के द्वारा किया जाएगा ।

(फ) आकलन परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर शिक्षक पद पर नियुक्ति का दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा । यह मात्र एक अर्हक/आकलन परीक्षा होगी ।

(ब) (i) आकलन परीक्षा का आयोजन प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाएगा । एक पारा शिक्षक को अधिकत्तम दो आकलन परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका दिया जाएगा ।

(ii) प्रथम परीक्षा आयोजन के तीन वर्ष के अन्दर दोनों अवसरों का उपयोग करना अनिवार्य होगा ।

(iii) उक्त परीक्षा में असफल अभ्यर्थी को संविदा मुक्त किया जाएगा ।

4. पारा शिक्षकों के लिए निर्धारित मानेदय का निर्धारण –

i. कंडिका 2 एवं 3 में वर्णित परीक्षा में सफल पारा शिक्षक को सहायक शिक्षक के रूप में नामित किया जाएगा ।

ii. संबंधित को निम्न अनुसार नया मानदेय देय होगा :–

क्र. सं.	**प्रारंभिक विद्यालय का स्तर**	**पारा शिक्षक की श्रेणी**	**वर्तमान नियत मानदेय**	**पारा शिक्षक अहर्ता आकलन परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले पारा शिक्षकों के लिए समतुल्य मानदेय निर्धारिण हेतु वेतनमान**	**ग्रेड पे**	**अहर्ता आकलन परीक्षा के आधार पर स्वीकृत किए जाने वाले प्रथम वर्द्धित मानदेय में 12 वर्ष की संतोषप्रद सेवा के उपरान्त ग्रेड पे**	**अहर्ता आकलन परीक्षा के आधार पर स्वीकृत किए जाने वाले प्रथम वर्द्धित मानदेय में 24 वर्ष की संतोषप्रद सेवा के उपरान्त ग्रेड पे**
1	**उच्च प्राथमिक स्तर**	प्रशिक्षित एवं टेट पास	15000/–	5200–20200	2400	2800	4200
		केवल प्रशिक्षित	13000/–	5200–20200	2000	2400	2800
2	**प्राथमिक स्तर**	प्रशिक्षित एवं टेट पास	14000/–	5200–20200	2000	2400	2800
		केवल प्रशिक्षित	12000/–	5200–20200	1900	2000	2400

iii. उपरोक्त निर्धारित वेतनमान पर प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार के कर्मियों की भाँति महँगाइ भत्ता देय होगा । पारा शिक्षकों के द्वारा प्रत्येक वर्ष की संतोषप्रद सेवा के आधार पर तीन प्रतिशत् वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदान की जाएगी ।

iv. उक्त के लिए नया एकरारनामा (संविदा) संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम समन्वयक, समग्र शिक्षा एवं संबंधित सहायक शिक्षक द्वारा हस्ताक्षरित होगा ।

अध्याय – 4

सेवा शर्त

1. पारा शिक्षक के रूप में संतोषप्रद सेवा होने की स्थिति में उनकी 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक कार्य करने की अनुमति रहेगी ।
2. अवकाश (छुट्टी):– संविदा शिक्षक/पारा शिक्षक को निम्नवत् अवकाश देय है–
   i. पारा शिक्षकों को एक वर्ष में अधिकतम 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश देय होगा। आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने की शक्ति विद्यालय प्रधान की होगी ।
   ii. अवकाश प्रबंधन की झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा स्थापित एवं अधिसूचित प्रावधान प्रभावी रहेंगे ।
   iii. महिला संविदा सहायक शिक्षिका को अधिकतम 180 दिनों के मातृत्व अवकाश दिया जाएगा।
   iv. महिला संविदा सहायक शिक्षिका को प्रत्येक माह 2 दिनों का विशेष अवकाश मात्र 50 वर्ष के अधिकत्तम उम्र सीमा तक देय होगा।
3. **पारा शिक्षकों का दायित्वः–**
   (i) पारा शिक्षकों का मूल दायित्व संबंधित विद्यालय के छात्र/छात्राओं का स्नेहपूर्ण वातावरण में गुणवत्तायुक्त शिक्षा देना होगा।

(ii) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीखने का स्तर (न्यूनतम अधिगम स्तर) छात्र/ छात्राओं पर सुनिश्चित कराना होगा।

(iii) नामांकित छात्र/ छात्राओं में से 90% छात्र/छात्राओं का विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करना।

(iv) विद्यालय से छात्र/ छात्राओं के छीजन दर (dropout) को शून्य स्तर पर बनाए रखना ।

(v) अपने विद्यालय के पोषक गाँवों के अभिभावकों से संपर्क स्थापित कर 6–14 वर्ष आयु के अनामांकित बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करना।

(vi) विद्यालय के सर्वांगिण एवं गुणवत्तापूर्ण विकास हेतु सामुदाय के साथ समन्वय स्थापित कर विद्यालय के विकास हेतु हर संभव प्रयास करना ।

(vii) विद्यालय में नियमित उपस्थिति बायोमेट्रिक विधि से दर्ज करना।

(viii) शैक्षणिक विकास एवं बच्चों के उपलब्धि स्तर बढ़ाने हेतु समग्र शिक्षा के अन्तर्गत संचालित सभी कार्यक्रम यथा– ज्ञान सेतु, ई–विद्यावाहिनी में पूर्ण सहयोग प्रदान करना ।

(ix) पारा शिक्षकों को नियोजन एवं सेवा शर्त 2019 के लागू होने के तीन माह के अन्दर एक स्वघोषणा विहित प्रपत्र में अपने नियोजन की समस्त विवरणी के साथ देने अनिवार्य होगा।

4. पारा शिक्षकों का प्रशासनिक नियंत्रण जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा के अधीन रहेगा ।

5. झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा सभी अनुशासनिक निदेश प्रभावी रहेंगे ।

6. **अनुशासनिक कार्रवाईः–**

(i) उपरोक्त उल्लेखित कार्यों में शिथिलता अथवा अनैतिक कार्य करने पर जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा संबंधित संविदा सहायक शिक्षक पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी ।

(ii) उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला कार्यकारिणी समिति के समक्ष संबंधित संविदा सहायक शिक्षक एक माह के अन्दर अपील

कर सकेंगे । तद्नुसार उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी माना जायेगा ।

(iii) राज्य परियोजना निदेशक द्वारा उपायुक्त–सह–अध्यक्षक, जिला कार्यकारिणी द्वारा पारित आदेश की समीक्षा की जा सकती है ।

7. **स्थानातरणः–** पारा शिक्षक का स्थानांतरण सामान्यतया नहीं होगा। परन्तु परिस्थिति विशेष में कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जा सकेगा ।

8. **प्रकीर्णः–** झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् पारा शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त 2019 के किसी प्रावधान को आदेश/अनुदेश द्वारा स्पष्ट कर सकेगी तथा इसे लागू करने से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर कर सकेगी।

9. **निरसनः–** ऐसे निरसन के होते हुए भी ऐसे नियमों एवं आदेशों द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से किया गया था या की गयी समझी जायेगी, माने यह नियमावली उस दिन प्रवृत हुई थी जिस दिन ऐसा किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

10. पारा शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त– 2019 अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी ।

(उमा शंकर सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक
झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्,
रांची